बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि०प्रा०(III) यो० –11/2017–   /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, गया के एकेडिमिक भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मति (जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन सहित) कार्यों के लिए कुल रू० 1,27,32,700=00 (एक करोड़ सताईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया के पत्रांक–1556 अनु, दिनांक 15.12.2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर संस्थान के एकेडिमिक भवन के जीर्णोद्धार/मरम्मति (जलापूर्ति एवं स्वच्छता अधिष्ठापन सहित) कार्यों के लिए कुल रू० 1,27,32,700=00 (एक करोड़ सताईस लाख बत्तीस हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्रम	प्रस्तावित कार्य	राशि (रूपये में)
1	Renovation of Flooring & Water proofing of Main Academic Building	67,13,000.00
2	Renovation of Interior and Toilet of Main Academic Building	60,19,700.00
	कुल	**1,27,32,700.00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के ''मुख्यशीर्ष– 4059 –लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0117– इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)'' के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड– P 4059800510117 है।

3. स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा भवन प्रमंडल, गया को प्रदान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया होगें।

5. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, गया से की जायेगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य सम्पादित कराने की संयुक्त जिम्मेवारी संस्थान के प्राचार्य तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(III) यो० –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(III) यो० –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(III) यो० –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/अभियंता मुख्य–सह–अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(III) यो० –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गया /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(III) यो० –71/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा०(III) यो० –71/2016– 529 /पटना, दिनांक– 1-3-017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/03/17

सरकार के उप सचिव

01/3/17